यूनिक सुपर बाजार आधा शटर खोल कर दे रहा था सामान, निगम की टीम ने लिया जुर्माना

भिलाईनगर / लाॅकडाउन में दुकाने बंद होने के निर्देश के बाद भी कुछ लोग हरकतो से बाज नहीं आ रहे है, निगम की मोबाइल टीम ने आज बेधड़क सुपर बाजार का आधा शटर खोलकर सामान देने वाले सुपर बाजार में दबिश दिए और तत्काल बंद कराकर जुर्माना वसूल किए। लाॅकडाउन में नियमों की अवहेलना करने वालों पर निगम की मोबाइल टीम सख्त कार्यवाही कर रही है। निगम क्षेत्र का सघन निरीक्षण कर दुकान व घर से सामान बेचने वालों से अर्थदंड लेकर कार्रवाई कर रही है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी है हर व्यक्ति नियमों का पालन करते हुए कोरोना को हराने में अपनी सहभागिता दे। निगम आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के निर्देश पर लाॅकडाउन का सख्ती से पालन करवाने मोबाइल टीम लगातार निगम क्षेत्र का सघन निरीक्षण कर रही है। कहीं भी भीड़ जुटने या चोरी चुपके सामान देने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचकर कार्यवाही कर रही है! ठेले में घूम-घूम कर फल, सब्जी बेचने के लिए दोपहर 2 बजे तक का समय निर्धारित किया है , इसके बाद भी देर शाम तक पाॅवर हाउस चौक , नंदिनी रोड, बापूनगर, कैलाश नगर, बालाजी नगर, सेक्टर 01, सेक्टर 02 क्षेत्र में सड़क किनारे ठेला लगाकर सामान बेचने वालों से अर्थदंड वसूला गया समायावधि के बाद विक्रय नहीं करने की समझाईश देकर छोड़ा गया। आज नियमों का उल्लंघन करने वाले 11 लोगों से 3900 रूपए जुर्माना वसूला गया। इसमें कोमल ठाकुर से 200 रूपए, असलम से 200 रूपए, ओमप्रकाश से 200 रूपए, रिंकू से 400 रूपए, उमेश साहू से 200 रूपए, राधे से 100 रूपए, गोलू से 100 रूपए, वैभव से 100 रूपए, रामलाल सोनकर से 200 रूपए, रमेश मिश्रा से 200 रूपए एवं सुपर बाजार से 2000 हजार रूपए सहित 11 लोगों से 3900 रूपए जुर्माना लिया गया!